अपर समाहर्त्ता, दुमका का न्यायालय

आर0एम0ए0 वाद सं0–01/2011–12

श्री कोका सोरेन, पति–स्व0 रंगटा सोरेन एवं अन्य, ग्राम–कोदालछाला, थाना–काठीकुण्ड, जिला दुमका–बनाम–श्री मदन मुर्मू, पिता–स्व0 रंगाई मुर्मू एवं अन्य ग्राम–कोदालछाला, थाना–काठीकुण्ड, जिला दुमका।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

आदेश

5.4.25 प्रस्तुत आर0एम0ए0 वाद सं0–01/2011–12 श्री कोका सोरेन, पति–स्व0 रंगटा सोरेन एवं अन्य, ग्राम–कोदालछाला, थाना–काठीकुण्ड, जिला दुमका के द्वारा श्री मदन मुर्मू, पिता–स्व0 रंगाई मुर्मू एवं अन्य ग्राम–कोदालछाला, थाना–काठीकुण्ड, जिला दुमका तथा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0ई0 वाद सं0–45/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक–15.07.2003 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित है कि मौजा कोदालछाला की जमाबन्दी नं0–26 गैंजर बन्दोबस्त के द्वारा गुमड़ी सोरेन के सभी पुत्र लंगड़ा सोरेन, मंगल सोरेन और जोल्हा सोरेन के नाम पर दर्ज है। प्लॉट सं0–466 और 1080 उक्त रैयतो के संयुक्त नाम और कब्जे में दर्ज है। गैंजर बन्दोबस्ती के दौरान संबंधित प्लॉट सं0–1084, 1081, 460, 467, 430, 220, 456, 669, 670, 675, 497, 500, 522, 525, 630, 489, 223, 241, 429, 179, 1092, 1124, 457, 485 एवं 73 जमाबन्दी रैयत जोल्हा सोरेन के नाम पर दर्ज किया गया तथा प्लॉट सं0–466 एवं 1080 को उक्त दर्ज रैयतों के संयुक्त नाम एवं कब्जे में दर्ज किया गया। जोल्हा सोरेन अंतिम बन्दोबस्ती के बाद अपने भाई लंगड़ा सोरेन और मंगल सोरेन के पास चले गये तथा अपने नाबालिग पुत्री दुल्हन सोरेन को छोड़ गये, जो जोल्हा सोरेन के मृत्योपरान्त जमाबन्दी रैयत लंगड़ा सोरेन और मंगल सोरेन की देखभाल एवं संरक्षण में आ गई। दुल्हन सोरेन के युवा होने पर उनकी शादी कोदालछाला गाँव के रगाई मुर्मू के साथ कर दिया और वे अपने पति के घर चली गई। दुल्हन सोरेन द्वारा सुरई सोरेन एवं अन्य के विरूद्ध PAUPER सूट नं0–10/1950 दायर किया। प्रतिवादी कमांक–01 दुल्हन सोरेन की माँ एवं प्रतिवादी नं0–02 एवं 03 की दादी का विवाह घर जमाई के रूप में नहीं हुआ था। बल्कि उनका विवाह साधारण रूप से हुआ था। PAUPER सूट नं0–10/1950 में दुल्हन सोरेन को जीवन पर्यन्त संबंधित भूखण्ड पर उपभोग करने का आदेश प्राप्त हुआ था। प्रश्नगत भूखण्ड जमाबन्दी रैयत लंगड़ा सोरेन एवं मंगल सोरेन के कब्जे में रहा। मंगल सोरेन के मृत्यु के बाद लंगड़ा सोरेन उक्त जमीन का मालिक बन गया। लंगड़ा सोरेन के मृत्यु के बाद उनके जीवित पुत्रों को संबंधित भूखण्ड कानूनी रूप से विरासत में मिला और उनका कानूनी एवं भौतिक कब्जा हो गया। अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त भूमि का खजाना जमा किया जाता रहा है। प्रतिवादी का संबंधित भूखण्ड पर न तो कब्जा है और न ही कोई अधिकार है। अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा कानून के प्रावधानों का पालन के बिना संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा–20 एवं 42 के तहत् अपीलकर्त्ता के खिलाफ गलत एवं अवैध रूप से बेदखली का आदेश पारित किया। आरोपित आदेश कानून की दृष्टि से गलत है। इस मामले में न तो संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा–20 लागू होती है और न ही धारा–42। अपीलकर्त्ता एक जमाबन्दी से संबंधित है और वे उक्त जमाबन्दी रैयत लंगड़ा सोरेन, मंगल सोरेन और जोल्हा सोरेन का वंशज है। दुल्हन सोरेन के संबंध में संबंधित भूखण्ड का अंतिम रूप से कभी आदेश पारित नहीं हुआ और न ही उसका उक्त भूमि पर कब्जा है। उक्त भूमि पर लंगड़ा सोरेन के वंशजो का कब्जा है। जोल्हा सोरेन (दुल्हन सोरेन के पिता) ने अपने सगे भाई लंगड़ा सोरेन एवं मंगल सोरेन के साथ संयुक्त परिवार बना लिया था। संबंधित भूमि पर हमेंशा ही अपीलकर्त्ता के पूर्वजों लंगड़ा सोरेन का कब्जा है और उसके बाद उनके पुत्र को उक्त भूमि पर कानूनी कब्जा मिला। अपीलकर्त्ता द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में वर्णित है कि मौजा कोदालछाला का जमाबन्दी सं0–26 पिछले बन्दोबस्त के दौरान लंगड़ा सोरेन, मंगल सोरेन एवं जोल्हा सोरेन

सभी के पिता गुमड़ी सोरेन के नाम पर दर्ज है, लेकिन प्लॉट सं0–1084, 1081, 460, 467, 430, 220, 456, 669, 670, 675, 497, 500, 522, 525, 630, 489, 223, 241, 429, 179, 1092, 1124, 457, 485 एवं 73 को अलग–अलग रूप से मौजा कोदालछाला जमाबन्दी नं0–26, थाना–काठीकुण्ड के उक्त गैंजर सर्वे में जोल्हा सोरेन के नाम एवं कब्जे में दर्ज है। उक्त जोल्हा सोरेन की एक मात्र पुत्री दुल्हन सोरेन थी तथा कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्री की शादी रागाई मुर्मू के साथ कर दी तथा विवाह के बाद से ही ग्राम कोदालछाला के ग्रामीणों के उपस्थिति में ही वो अपनी पुत्री और जमाई रागाई मुर्मू को अपने घर में रखा तथा समस्त खेती योग्य भूमि पर कब्जा बनाए रखा। अगले बन्दोबस्त सर्वे के दौरान पुत्री और जमाई का नाम सर्वे में दर्ज हुआ। वहाँ उनके पुत्र भी पैदा हुआ। दुल्हन सोरेन और उनके पति रागाई मुर्मू हमेशा जमाबन्दी रैयत जोल्हा सोरेन के घर में रहते थे और उनके मृत्यु तक उनका भरण–पोषण करते रहें। जोल्हा सोरेन की मृत्यु पर संथाल रीति रिवाज से सभी अनुष्ठान उनकी पुत्री दुल्हन सोरेन और जमाई रागाई मुर्मू ही संपन्न किये। जोल्हा सोरेन के मृत्योपरान्त उनकी भूमि विरासत के रूप में उनकी पुत्री दुल्हन सोरेन और जमाई रागाई मुर्मू को मिली जिनपर उनका दखल–कब्जा रहा। दुल्हन सोरेन और रागाई मुर्मू के मृत्योपरान्त उनके पुत्रों (प्रतिवादी) का कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते कानूनी रूप से उनके समस्त चल एवं अचल सम्पति के उत्तराधिकारी बन गये। वे उक्त भूमि पर खेती करते है और पुर्वजों की भांति खजाना भी जमा करते है। वर्ष 1950 में दुल्हन सोरेन और उनके पति रागाई मुर्मू के जीवनकाल के दौरान अपीलकर्त्ता के पूर्वजों अर्थात मंगल सोरेन और सुराई सोरेन ने उक्त भूमि पर उनके कब्जे के कारण समस्या कर रहे थे, जिसके लिए दुल्हन सोरेन ने उप समाहर्त्ता–सह–दामिन दण्डाधिकारी, दुमका के न्यायालय में टी0एस0 सं0–10/1950 के तहत् मामला दायर किया। टी0एस0 सं0–10/1950 में पारित आदेश दिनांक–26.12.1950 दुल्हन सोरेन के पक्ष में आदेश पारित हुआ। इस प्रकार जोल्हा सोरेन ने अपने पुत्री दुल्हन सोरेन एवं जमाई रागाई मुर्मू को अपना चल एवं अचल संपत्ति का उत्तराधिकार बनाया है। अपीलकर्त्ता का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। विपक्षियों के द्वारा अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0ई0 केस नं0–45/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक–15.07.2003 में वर्णित है कि मौजा कोदालछाला का जमाबन्दी नं0–26 खतियानी रैयत लंगड़ा सोरेन, मंगल सोरेन एवं जोल्हा सोरेन सभी के पिता–गुमड़ी सोरेन के नाम से गैंजर सेटलमेन्ट के समय से ही तीनों खतियानी रैयतों का नाम पर्चा के अभ्युक्ति कॉलम में अलग–अलग Plotwise दखल–कब्जा दर्ज है। विषयगत भूमि खतियानी पर्चा में जोल्हा सोरेन के नाम से दखल दर्ज है। विपक्षी जोल्हा सोरेन के एकमात्र पुत्री दुल्हन सोरेन के वारिसान है। टाईटल सूट नं0–10/1950 में एस0के0 सिन्हा, उप समाहर्त्ता द्वारा दिनांक–26.12.2050 को दुल्हन सोरेन के पक्ष में आदेश पारित किया गया था।

मैने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि गैंजर सेटलमेन्ट में विषयगत भूमि खतियानी रैयत जोल्हा सोरेन के नाम से अलग–अलग दर्ज है। विपक्षीगण खतियानी रैयत जोल्हा सोरेन के एकमात्र पुत्री दुल्हन सोरेन के वारिसान है। अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

इस समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

05/04/25

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

05/04/25

अपर समाहर्त्ता,
दुमका।

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2025.06.13 11:30:26 +05:30
Location: 192.168.29.220